11-1-17	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। [illegible] 22-2-17 [illegible] ।
22-2-17	वकील प्रार्थी उपस्थित है बहस एकपक्षीय पत्रावली दिनांक 1-3-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
1-3-17	वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई बाद निर्णय 22-3-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
22-3-17	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज [illegible] अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 30.3.17 को पेश हों। (हस्ताक्षर)
30.3.17	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, आदेश पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवा/लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी

पीठासीन अधिकारी – गरिमा लाठ आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 7/प्रा0/2015

उनवान –

1. रामगोपाल बैरवा आयु 60 वर्ष आत्मज श्री सम्पत लाल जाति बैरवा निवासी चर्च के पास, लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान

2. रामदुलारी आयु 62 वर्ष पुत्री श्री सम्पतलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी हाल जयपुर

3. शत्रुजीत आयु 58 वर्ष आत्मज श्री सम्पतलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

4. रणजीत कुमार आयु 54 वर्ष आत्मज श्री सम्पतलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

5. दशरथ लाल आयु 61 वर्ष आत्मज श्री किशोरी लाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

6. देवानन्द आयु 58 वर्ष आत्मज श्री किशोरी लाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

7. हरिप्रसाद आयु 55 वर्ष आत्मज श्री किशोरी लाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

8. राजेन्द्र प्रसाद आयु 43 वर्ष आत्मज श्री किशोरीलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. छोटूलाल आयु 45 वर्ष आत्मज श्री ग्यारसी लाल जाति माली निवासी लाखेरी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः

2. पांचूलाल आयु 40 वर्ष आत्मज श्री ग्यारसी लाल जाति माली निवासी लाखेरी
3. उदयभान आयु 38 वर्ष आत्मज श्री रतन सिंह जाति माली निवासी लाखेरी
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज॰ काश्त॰ अधिनियम

उपस्थित

1. श्री अब्दुल सत्तार वकील प्रार्थी

निर्णय दिनांक 30.03.17

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राज॰ काश्त॰ अधिनियम जरीये वकील पेश किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है– प्रार्थीगण ने उक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। खाता सं॰ नये 471 पुराने 455 के ख॰ सं॰ 2652 रकबा 0.03 है॰, खसरा सं॰ 2653 रकबा 0.30 है॰ ख॰ सं॰ 2657 रकबा 0.26 है॰ खसरा सं॰ 2660/2 रकबा 0.09 है॰ व खसरा सं॰ 2662 रकबा 0.02 है॰ कुल किता 5 कुल रकबा 0.70 है॰, भूमि वाके कस्बा लाखेरी पटवार क्षेत्र लाखेरी जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। जिसकी नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 संलग्न है। उक्त भूमि दिनांक 30.09.1964 को मिसल नं॰ 317 अलोटमेंट कमेटी ने प्रार्थीगण के दादा घासी आत्मज

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः

भूरा जाति चमार निवासी बॉटम लेवल लाखेरी के 6 बीघा भूमि लगान व पैनल्टी वसूल कर खाते में दर्ज कर दी। जिसकी जमाबन्दी नामान्तरकरण पंजिका प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। राजस्व विभाग ने प्रार्थीगण के दादा के नाम पासबुक 08.08.1971 को जारी की जिसमे प्रार्थीगण के दादा के नाम 6 बीघा जमीन होना अंकित है तथा जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024 की जमाबन्दी में भी 6 बीघा जमीन वादी के दादा के नाम अंकित है। घासीलाल अपने जीवनकाल तक तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र सम्पत लाल व किशोरी लाल काबिज है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त आज तक प्रार्थीगण उक्त 6 बीघा भूमि पर काबिज है। भूप्रबन्ध रिकार्ड 2022-24 में उक्त भूमि 6 बीघा के स्थान पर साढे चार बीघा रह गई जबकि राजस्व दस्तावेजो में राजस्व विभाग द्वारा भूमि कम करने का कारण कही भी इन्द्राज नही किया गया है। जबकि मौके पर प्रार्थीगण 6 बीघा भूमि पर काबिज है। भूमि के अंतिम छोर पर नाले के समीप वादीगण के दादा घासी ने अपने कुल देवता का मंदिर भी बना रखा है जहा प्रार्थीगण नित्य दियाबत्ती निरन्तर व निर्बाध रूप से करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 आये दिन प्रार्थीगण को परेशान कर रहे है और प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमदा हो रहे हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की वे प्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जे की भूमि पर न तो स्वयं कब्जा करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि एजेंट से करावे। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल प्रति, नामान्तरकरण पंजिका ग्राम लाखेरी, प्रतिलिपि जमाबंदी संवत-

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः

2021 से 2024, फोटोप्रति पासबुक कृषि जोत 8.4.1971., नकल जमाबंदी फोटोप्रति संवत् 2064 से 2067, नकल खसरा रिपदावरी फोटोप्रति संवत् 2069, जिला कलक्टर, बूंदी का पत्रांक 924 दिनांक 22.04.2014 की फोटोप्रति पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नं 1, 2 व 4 बाद तामील अनुपस्थित रहे। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 3 को जरीये रजिस्टर्ड A.D से तलब किया। AD प्राप्त होगयी बाद तामील अप्रार्थी सं. 3 अनुपस्थित रहे जिसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। ~~वकी~~ वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया की दिनांक 30.9.1964 को मिसल नं 317 अलोटमेंट कमेटी ने दादा घासी आत्मज भूरा जाति चमार बॉटम लेवल लाखेरी के 6 बीघा कृषि लगान व पेनल्टी वसूल कर खाते में दर्ज कर दी। जो कि नामान्तरकरण पंजिका की नामान्तरकरण की एन्ट्री व कृषि जोत पासबुक 8.4.1971, नकल जमाबंदी संवत 2021 से 2024 में दर्ज हैं। परन्तु भूप्रबन्ध 2022-24 में उक्त कृषि 5½ बीघा रह गई। प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण आज भी 6 बीघा कृषि पर काबिज हैं। उक्त ~~कि~~ कृषि के एक छोर पर घासी ने अपने कुल देवता का मंदिर भी बना रखा हैं। यहां दियाबाती निरन्तर व अबाध रूप से की जा रही हैं। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 आए दिन प्रार्थीगण को परेशान कर रहे हैं व प्रार्थीगण के कब्जे की कृषि पर जबरन कब्जा करने आमदा हैं, अतः अप्रार्थीगण 1 लगा. 3 को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जे

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

पर न तो स्वयं कब्जा करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि एजेंट से करावे।

न्यायालय ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। संलग्न जमाबन्दी नकल प्रति संवत 2064 से 2067 से यह सही है कि प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जो ख.सं. 2652, 2653, 2657, 2660/2 2662 कुल किता 5 कुल रकबा 0.70 है. दर्ज है। खसरा गिरदावरी नकल प्रति से भी उक्त ख.सं. 2652, 2653, 2657, 2660/2 2662 कुल रकबा 0.70 है. पर कब्जा काश्त है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है उसके सम्बन्ध में अपने कब्जे में होने को सिद्ध नही कर पाये है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नही बन रहा है। चूंकि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नही है तथा कब्जा साबित नही होने से किसी अपूर्णीय क्षति होने को भी प्रार्थीगण साबित नही कर सके है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मुलताद रहे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)